

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक : 24 अक्टूबर- 2018,
-: आदेश:-


उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह नवम्बर- 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं० 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	12.11.18 से 17.11.18	पीठ-1, आगरा (न्याय0) व पीठ-2, आगरा (वि0)
2	पीठ- मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	12.11.18 से 17.11.18	पीठ-1, इलाहाबाद (न्याय0) व पीठ-मुरादाबाद (वि0)
3	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	12.11.18 से 17.11.18	पीठ-1, गाजियाबाद (न्याय0) व पीठ-2, गाजियाबाद (वि0)
4	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	12.11.18 से 17.11.18	पीठ-1, कानपुर (न्याय0) व पीठ-4, कानपुर (वि0)
5	पीठ-2, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	12.11.18 से 17.11.18	पीठ-1, लखनऊ (न्याय0) व पीठ-2, लखनऊ (वि0)

ह0-24.10.18
(प्रेम कला सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/225/2018, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
2-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष सहोदय की आज्ञा से,


निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।